



**झारखण्ड राज्य अवस्थित मॉडल विद्यालयों में वर्ष 2025 के लिए
नामांकन प्रवेश परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना**

विज्ञप्ति संख्या - 16/2025

प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 466 दिनांक 01.03.2012, 1791 दिनांक 06.07.2012, झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक 53 दिनांक 05.05.2014, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 1165 दिनांक 07.06.2016 एवं राज्य परियोजना निदेशक के ज्ञापांक 2361 दिनांक 15.12.2021 के आलोक में एतद् द्वारा सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक/सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/अभिभावक एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राज्य में संचालित कुल 89 मॉडल विद्यालयों में नामांकन हेतु छात्र/छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सभी मॉडल विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित होंगे तथा पूर्णतः गैर-आवासीय होंगे:-

1. आवेदक की पात्रता:

- (क) दिनांक 01, अप्रैल 2025 को न्यूनतम आयु 10 (दस) वर्ष एवं अधिकतम 12 (बारह) वर्ष होना चाहिए।
- (ख) संबंधित जिला के निवासी तथा जिला के किसी भी विद्यालय से वर्ग- 05 (पाँच) उत्तीर्ण/कक्षा 06 (छः) में अध्ययनरत् छात्र-छात्रा या ड्रॉप आऊट वर्ग- 05 (पाँच) उत्तीर्ण छात्र-छात्रा।

2. परीक्षा शुल्क:

यह परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें आवेदन-प्रपत्र एवं परीक्षा देने हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

3. आवेदन-प्रपत्र:

- परीक्षा आवेदन-प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के Exam Form Portal Section के माध्यम से ऑनलाइन भराया जायेगा। इस हेतु सभी दिशा-निर्देश परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसका अवलोकन करते हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि दिनांक **25.03.2025 से 15.04.2025** निर्धारित है।
- अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ आवेदन प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के Login में उपलब्ध होगा, जिसका अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। आवेदन प्रपत्र अनुमोदन देने की तिथि- **26.03.2025 से 16.04.2025** तक निर्धारित की जाती है।
- **परीक्षा की तिथि- 04.05.2025**
- परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की तिथि- **29.04.2025**

- 4. नामांकन:** मॉडल विद्यालयों के वर्ग **VI (छठा)** में नामांकन मेधा सूची के आधार पर होगा। नामांकन में राज्य के जिला स्तरीय आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा। मेधा सूची का निर्माण जिला स्तर पर किया जाएगा। एक विद्यालय में कुल 40 (चालीस) छात्र/छात्राओं का नामांकन होगा। रिक्त सीटों पर नामांकन विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से विद्यालय के पोषण क्षेत्र के बच्चे को विद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कर लिया जायेगा।

आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि/जाति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुपलब्धता की स्थिति में वे आवेदन जमा कर सकते हैं, परन्तु नामांकन के समय उन्हें मूल रूप से या सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थित्व रद्द समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन में भरे गए कोटि का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

- 5. परीक्षा का विषय:** यह परीक्षा OMR Sheet आधारित होगी। विषयवार अंकों का निर्धारण निम्न अनुसार होगा।

| | |
|----------------------|---------|
| (क) अंग्रेजी - | 30 अंक |
| (ख) गणित - | 30 अंक |
| (ग) सामाजिक विज्ञान- | 40 अंक |
| कुल - | 100 अंक |

नोट:- परिषद् के वेबसाइट पर फॉर्म के साथ जिला तथा प्रखण्ड का नाम एवं कोड की सूची उपलब्ध है। छात्र-छात्राएँ परीक्षा आवेदन प्रपत्र में जिला एवं प्रखण्ड कोड भरने हेतु उक्त सूची में अंकित कोड का ही उपयोग करेंगे।

ज्ञापांक: JAC/मॉडल वि./5132/21/SECY/
309/25, Dt. 22.03.2025
D.O.P : 23.03.2025

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।